



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल-462026

प: 1546 अकादमी/पीएच.डी./2025

भोपाल, दिनांक : 25-04-2025

::संशोधित अधिसूचना::

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है, कि विश्वविद्यालय पीएच.डी. प्रवेश सत्र (2024-2025) हेतु जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 678/अका/पीएच.डी./2025 दिनांक 28.03.2025 के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.04.2025 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथि में परिवर्तन करते हुए नवीन तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-

Online Application for Ph.D Admission (Session2024-2025)	05-04-2025
Last Date of Online Application	05-05-2025
Commencement of Online Application for (General Cateogory)	2500/-
Commencement of Online Application for Admission (ST,SC,OBC,Divyangjan, EWS) Candidates	1000/-
Last Date of Online Application(with late fee)	08-05-2025
late fee	5000/-
Date of Correction in Online Application(if any)	10-05-2025
Correction fee in Online Application(if any)	1000/-
Application fee are Non-refundable	

- पीएच.डी. प्रवेश सत्र (2024-2025) हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु राशि रु 1000/- के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि में आवेदन कर सकते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2022 के बिन्दु क 3 अनुसार वे निम्नवत अभ्यार्थि पीएच. डी प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र है-

1). 4- वर्षीय /8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1-वर्ष/2-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3-वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय/4-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (न-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 55 प्रतिशत अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (न न-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अन्य विवरण अधिसूचना क्रमांक 678/अका/पीएच.डी./2025 दिनांक 28.03.2025 के अनुसार यथावत रहेंगे।

आदेशानुसार



कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक : 25.04.2025

पृष्ठ क्रमांक 1547...../अकादमी/पी.एच.डी./2025

....
प्रतिलिपि:-

1. समस्त संबंधितों की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त सकांयाध्यक्ष/ अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, बरकतउल्ला वि.वि. की ओर सूचनार्थ।
3. वि.वि. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आई.टी.सेल की ओर सूचनार्थ।
4. मा. कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से मा. कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
5. मा. कुलसचिव जी के निज सहायक के माध्यम से मा. कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।



सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल